


## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत मोहम्मद जियाउल हक पिता मोहम्मद हकीमनिवासी ग्राम: नामुडाग, थाना: मनिका, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: राहम थाना सं: 62 (रैयाती) खाता सं. 148, 428, 427, 288, 19, 255, 1, 85, 49, 111, 311 & 196 के अधीन प्लॉट सं. 2100, 2101, 2103, 2847, 2877, 2887, 2897, 2891, 2869/2925, 1387(P), 1365(P), 1350, 2148, 2143, 2209, 2203, 2204, 2208, 2246 & 1351, कुल रकबा - 2.0002 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं। बेबसाईट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_Ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: नामुडाग, थाना: मनिका, जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: राहम थाना सं: 62 (रैयाती) खाता सं. 138, 314 & 428 के अधीन प्लॉट सं. 148, 428, 427, 288, 19, 255, 1, 85, 49, 111, 311 & 196 के अधीन प्लॉट सं. 2100, 2101, 2103, 2847, 2877, 2887, 2897, 2891, 2869/2925, 1387(P), 1365(P), 1350, 2148, 2143, 2209, 2203, 2204, 2208, 2246 & 1351, कुल रकबा - 2.0002 एकड़ के तहत मोहम्मद जियाउल हक पिता मोहम्मद हकीमनिवासी ग्राम: नामुडाग, थाना: मनिका, जिला: लातेहार (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

  
8/2/19